

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या :- 208 / 2023

नाहरसिंह बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

16.07.24

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम भड्डून्दा कला पटवार हल्का भड्डून्दा कला तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 1024, 1025, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143 कुल किता 7 का कुल रकबा 5.38 है० भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 02.05.2016 को पटवारी हल्का भड्डून्दा कला से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थी पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम भड्डून्दा कला पटवार हल्का भड्डून्दा कला तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 1024, 1025, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143 कुल किता 7 का कुल रकबा 5.38 है० अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 के अनुसार ही पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :-

-: आदेश :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भड्डून्दा कला पटवार हल्का भड्डून्दा कला तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 1024, 1025, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143 कुल किता 7 का कुल रकबा 5.38 है० भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर सीमा चिन्ह यानि पत्थरगडी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुमन सोनल)

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

